झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान– सभा

पंचदश (बजट)– सत्र

वर्ग– 01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 08 माघ, 1940 [श0] / 28 जनवरी, 2019 [ई0] को

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
*111–	का–18	श्री विकास कु0 मुण्डा	ट्रेजरी की स्थापना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	18.01.2019
112–	ग– 13	श्रीमती सीमा देवी	जाँच कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	17.01.2019
*113–	ग– 25	श्री अरूप चटर्जी	दोषियों पर कानूनी कार्रवाई।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	21.01.2019
*114–	का–17	श्री विकास कु0 मुण्डा	मान्यता देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	18.01.2019
115–	ग– 18	श्री केदार हजरा	थाना का दर्जा देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	20.01.2019
116–	ग– 16	श्री बिरंची नारायण	कार्रवाई करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	18.01.2019
117–	का–15	श्री सुखदेव भगत	प्रोन्नति देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	18.01.2019
*118–	ग– 19	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	आश्रितों को नौकरी देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	20.01.2019
119–	ग– 12	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	प्रोन्नत कर्मी को पदच्युत करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	17.01.2019
*120–	योवि–07	श्री दीपक विरूवा	राशि का भुगतान करना।	योजना सह– वित्त	21.01.2019

*-111-का-18-कार्मिक विभाग के ज्ञापांक-614, दिनांक-22.01.19 द्वारा योजना सह वित्त विभाग में स्थानांतरित।
*-113-ग-25- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक-416, दिनांक-22.01.19 द्वारा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में स्थानांतरित।
*-114 का-17- कार्मिक विभाग के ज्ञापांक-616, दिनांक-22.01.19 द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानांतरित
*-118-ग-19- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक-424, दिनांक 23.01.19 द्वारा खान एवं भू विभाग में स्था०
*-120-यो०वि०-07- योजना सह वित्त विभाग के ज्ञापांक-24/वि०पे० दिनांक-24.01.19 द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग में स्थानांतरित।

01.	02.	03.	04.	05.	06
121—	ग— 22	श्री दशरथ गागराई	अनुग्रह अनुदान देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	20.01.2019
122—	का— 13	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	पुनरीक्षित पेंशन का लाभ देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	17.01.2019
123—	का— 20	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	सीमांकन कराना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	2101.2019
124—	का— 09	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	पदस्थापन ना करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	17.01.2019
125—	योवि—03	श्री अमित कु0 मंडल	टैक्स वसूली करना।	योजना सह— वित्त	13.01.2019
126—	ग— 15	श्री प्रकाश राम	नौकरी देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	18.01.2019
127—	ग— 24	श्री योगेश्वर महतो	गाड़ी की मरम्मती कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	21.01.2019
128—	ग— 14	श्री रामकुमार पाहन	कार्रवाई करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	17.01.2019
129—	का—11	श्रीमती गीता कोड़ा	ऐकेडमी का स्थापना करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	17.01.2019
130—	जन—03	श्री राज सिन्हा	पत्रिका का प्रकाशन करना।	सूचना एवं जनसम्पर्क	18.01.2019
131—	ग—23	श्री मनीष जायसवाल	मुआवजा दिलाना,	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	21.01.2019
132—	ग— 21	श्री भानु प्रताप शाही	मानदेय एवं अन्य सुविधा देना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	20.01.2019
133—	ग—11	श्री शशिभूषण सामाड़	आंदोलन कर्मियों को सम्मानित करना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	17.01.2019
134—	ग—17	श्री सुखदेव भगत	घटनाओं पर नियंत्रण कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	18.01.2019
135—	जन—01	श्री अमित कुमार मंडल	इन्टरटेनमेंट को अनुदान देना।	सूचना एवं जनसम्पर्क	13.01.2019
136—	का—16	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	स्थायी व्यवस्था कराना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	18.01.2019
137—	योवि—04	श्री अरूप चटर्जी	खर्च की कटौती करना।	योजना सह— वित्त	14.01.2019
138—	योवि—06	श्री राजकुमार यादव	समान काम समान वेतन देना।	योजना सह— वित्त	20.01.2019
139—	का—10	श्रीमती सीमा देवी	परीक्षा का आयोजन कराना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	17.01.2019

उ०स०/40– का–19	डॉ0 इरफान अंसारी	स्थानांतरण करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	20.01.2019
* 141– ग– 06	डॉ0 इरफान अंसारी	तड़ित चालक की व्यवस्था करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.01.2019

कृ0पृ0उ0

* 122-का0-13-कार्मिक विभाग के सापांक-520, दि0-18.01.19 द्वारा योजना सह वित्त विभाग में स्थानांतरित।
* 123-का-20-कार्मिक विभाग के सापांक 676, दिनांक-23.01.19 द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में स्थानांतरित।
* 125-यो वि0-03-योजना सह वित्त विभाग के सापांक-16/वि0 पे0, दि0-16.01.19 द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में स्थानांतरित।
* 129 का0-11-कार्मिक विभाग के सापांक-522, दिनांक-18.01.19 द्वारा अनु0जाति/अनु0 जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में स्थानांतरित।
* 131-ग-23-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सापांक-413, दि0-22.01.19 द्वारा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में स्थानांतरित।
* 136-का0-16 कार्मिक विभाग के सापांक-613, दिनांक-22.01.19 द्वारा योजना सह वित्त विभाग में स्थानांतरित।
* 137-यो वि0-04-योजना सह वित्त विभाग के सापांक-17/वि0 पे0, दिनांक-16.01.19 द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में स्थानांतरित।
* 141-ग0-06-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सापांक-41, दिनांक-18.01.19 द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानांतरित।

01.	02.	03.	04.	05.	06
*	142— जन—02	श्री पौलुस सुरीन	अनुशंसा करना।	सूचना एवं जनसम्पर्क	17.01.2019
	143— ग— 20	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	दण्डात्मक कार्रवाई करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	20.01.2019

राँची,
दिनांक— 28 जनवरी, 2019 (ई0)।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक— संख्या—प्रश्न—03/2015.....928...../वि0स0, रांची, दिनांक— 25/01/19

प्रतिः— झारखण्ड विधान—सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/मा0 संसदीय कार्य मंत्री/मा0 नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.01.19

(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव, झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

ज्ञापांक— संख्या—प्रश्न—03/2015.....928...../वि0स0, रांची, दिनांक— 25/01/19

प्रतिः— माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय को सूचनार्थ एवं अपर सचिव प्रश्न तथा संयुक्त सचिव प्रश्न, को सूचनार्थ प्रेषित।

25.01.19

उप सचिव, झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

ज्ञापांक— संख्या—प्रश्न—03/2015.....928...../वि0स0, रांची, दिनांक— 25/01/19

प्रतिः— कार्यवाही शाखा, वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन को सूचनार्थ प्रेषित।

25.01.19

उप सचिव, झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

23/01/19

सुभाष

* 142-जन-02- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आपांक-47, दिनांक-22.01.2019 द्वारा सूचनाप्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स विभाग में स्थानांतरित।

(111)

श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०– ~~ग्रोवि~~ वि० 18 दिनांक 28.01.2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

अल्प सूचित प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि राँची जिला के बुण्डू अनुमण्डल में ट्रेजरी की स्थापना अबतक नहीं की गई है।	**स्वीकारात्मक।**
(2.) क्या यह बात सही है कि ट्रेजरी की स्थापना नहीं होने से विभागीय कर्मचारियों को काफी परेशानियाँ हो रही है, साथ ही समय की भी काफी बर्बादी हो रही है।	**अस्वीकारात्मक।**
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बुण्डू अनुमण्डल में ट्रेजरी की स्थापना का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	बुण्डू अनुमण्डल में उप कोषागार खोलने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10 / वि.स. (4)–17 / 2019....30/वि.वि. **राँची / दिनांक:** 27.01.2019

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक 550 / वि०स०, राँची, दिनांक 18.01.2019 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.01.19

(अविनाश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड,
राँची।

श्रीमती सीमा देवी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.01.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–13 की उत्तर सामग्रीः–

क्र	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत सिल्ली प्रखण्ड के थाना सिल्ली के रामपुर निवासी स्व0 बेदिया का अपहरण दिनांक–04.07.2018 को गाँव के दो व्यक्तियों द्वारा किया गया एवं उनकी हत्या कर साक्ष्य छिपाने हेतु बरलंगा स्टेशन के पास शव को फेंक दिया गया;	अस्वीकारात्मक मृतक प्रकाश बेदिया के परिजनों के द्वारा अपहरण/हत्या से संबंधित कोई शिकायत सिल्ली थाना में नहीं दिया गया है। इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक, सिलली, राँची द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक–05.07.2018 को सुबह बरलंगा रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना के फलस्वरूप बेदिया की मृत्यु हो जाने के संबंध में वादिनी सुरथी देवी, पति–स्व0 गुरूचरण बेदिया के फर्दब्यान के आधार पर रेल थाना, मुरी यू0डी0 काण्ड सं0–04/18, दिनांक–05.07.2018 पंजीकृत किया गया है। काण्ड के पर्यवेक्षण के क्रम में रेल पुलिस उपाधीक्षक, मुरी/जमशेदपुर/चक्रधरपुर द्वारा साक्षियों का बयान लिया गया है, जिसके अनुसार यू0डी0 काण्ड के चश्मदीद साक्षी रोहित रंजन (उम्र 24 वर्ष), पे0–लक्ष्मण रजक, सहायक लोको पायलट ने बयान दिया है कि दिनांक–04.07.2018 को चालक संतोष कुमार महतो के साथ एम0ई0/एन0/एम0एस0पी0सी0 ट्रेन लेकर बरकाकाना से मुरी आ रहे थे और करीब 22.15 बजे बरलंगा स्टेशन पार करते समय करीब 50 मीटर की दूरी में रेलवे ट्रैक में एक व्यक्ति को खड़ा देखे, जिसे रेल इंजन से धक्का लग गया। गाड़ी लगभग 60 कि0मी0 प्रति घंटे की रफ्तार पर थी। ब्रेक मारे तो गाड़ी काफी आगे निकल गयी थी, जिसकी सूचना वाकी–टाकी के माध्यम से स्टेशन मास्टर, बरलंगा को दी गई। मुरी आकर इसका लिखित रूप से मेमो दिये। बाद में पता चला कि उक्त व्यक्ति ट्रेन के इंजन से धक्का लगने से मर गया है। इसकी पुष्टि साक्षी अभय एलवर्ट टोप्पो, स्टेशन मास्टर, बरलंगा स्टेशन द्वारा भी अपने बयान में किया गया है। रेल पुलिस उपाधीक्षक, मुरी/जमशेदपुर/चक्रधरपुर द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण, साक्षियों के बयान के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन मृतक प्रकाशा बेदिया की मृत्यु ट्रेन के चपेट में आने के कारण समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त हत्या का एफ0आई0आर0 सिल्ली थाना में दर्ज न कर मामला रेलवे थाना में दर्ज किया गया है;	मृतक का शव बरलंगा स्टेशन ट्रैक पर मिला है, जो रेल थाना मुरी के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। मामले को लेकर रेल थाना, मुरी द्वारा यू0डी0 काण्ड सं0–04/18, दिनांक–05.07.2018 दर्ज किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त हत्या सिल्ली थाना में एफ0आई0आर0 दर्ज कर जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	रेल थाना, मुरी द्वारा यू0डी0 काण्ड के अभी तक के अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण, गवाहों के बयान से स्पष्ट होता है कि यह कांड अस्वाभाविक मृत्यु का है, जिस संबंध में रेल थाना, मुरी द्वारा यू0डी0 काण्ड सं0–04/18, दिनांक–05.07.2018 दर्ज किया गया है। तदनुसार पुलिस उपाधीक्षक, मुरी/जमशेदपुर/चक्रधरपुर द्वारा पर्यवेक्षण टिप्पणी समर्पित किया गया है।

झारखण्ड सरकार

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ज्ञापांकः–08/वि0स0(04)–02/2019......503....../ राँची, दिनांक–25/01/2019 ई0

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–453, दिनांक–17.01.2019 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 25/01/19

सरकार के अपर सचिव।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(115)

श्री केदार हजरा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–28.01.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–18 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरीडीह जिला के जमुआ थाना के नवडीहा ओ०पी० स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन में चलाया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि नवडीहा ओ०पी० को अब तक थाना का दर्जा प्राप्त नही है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि नवडीहा ओ०पी० को थाना का दर्जा नहीं मिलने से स्थानीय जनता को जमुआ थाना की दूरी करीब 15 किलोमीटर तय कर जाना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नवडीहा ओ०पी० को चिकित्सालय से मुक्त कराकर थाना का दर्जा देते हुए नया भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	पुलिस थानों के निर्माण हेतु विशेष आधारभूत संरचना योजना के तहत गिरिडीह जिलान्तर्गत नवडीहा ओ०पी० के निर्माण का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। योजना की स्वीकृति के उपरांत नवडीहा ओ०पी० के लिए नया थाना भवन का निर्माण कराया जाएगा। सम्प्रति नवडीहा ओ०पी० को थाना के रूप में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–05 / 2019–569 / राँची, दिनांक– 25/01/2019ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–630, दिनांक–20.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/19
सरकार के अपर सचिव।

(116)

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–28.01.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–16 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो के पुलिस कर्मियों सहित झारखण्ड पुलिस मेंस एसोसिएशन के सभी सदस्य विगत कई महीनों से अपनी पाँच सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इनकी पाँची सूत्री मांगों में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली में संशोधन की मांग, बिहार की तर्ज पर झारखण्ड में भी 13 महीने का वेतन, एमसीपी व एमएएसपी के लंबित मांगों का यथाशीघ्र निपटारा, मृत अथवा शहीद पुलिस कर्मियों के माता–पिता को 25% राशि का भुगतान और सातवें वेतन आयोग के अनुरूप सभी तरह के भत्ते दिए जाने की मांग सम्मिलित है ;	सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा को समाप्त करने संबंधी पुलिस मुख्यालय के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। बिहार राज्य के तर्ज पर झारखण्ड राज्य के पुलिस कर्मियों को (आरक्षी से पुलिस निरीक्षक) को 13 महीने का वेतन राज्य सरकार के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है। ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ की स्वीकृति के बिन्दु पर पुलिस मुख्यालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आरक्षी संवर्ग के विलम्ब से परीक्षा (पी०टी०सी० प्रशिक्षण) उत्तीर्ण होने के कारण विलम्ब अवधि की क्षांत किये जाने के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मृत अथवा शहीद पुलिस कर्मियों के माता–पिता को 25% राशि का भुगतान से संबंधित प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सातवें वेतन आयोग के अनुरूप पुलिस कर्मियों को सभी तरह के भत्ते की स्वीकृति पर भी विभाग द्वारा कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड में 24X7 की तर्ज पर कार्य करने वाले इन पुलिस कर्मियों के उपर्युक्त मांगों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में बिन्दुवार स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–04/2019–.....567/ राँची, दिनांक–25/01/2019 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–545, दिनांक–18.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/19

सरकार के अपर सचिव।

(117)

श्री सुखदेव भगत, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.01.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–15 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0–1072, दिनांक–17.02.2009 द्वारा झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत राज्य स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती, प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण के संबंध में आदर्श रोस्टर प्रावधान किया गया है;	स्वीकारात्मक।
02.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त संकल्प के अनुसार राज्य स्तर पर सभी सेवाओं/संवर्गो एवं पदों पर प्रोन्नति में अनुसूचित जाति को 10% एवं अनुसूचित जनजाति को 26% आरक्षण की व्यवस्था है। शेष 64% सीट अनारक्षित है;	स्वीकारात्मक।
03.	क्या यह बात सही है कि अनारक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के कर्मियों को प्रोन्नति अवरूद्ध है;	अस्वीकारात्मक।
04.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अनारक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति देने हेतु संकल्प/आदेश निर्गत करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–07/2019 का0–685/रांची, दिनांक 24.1.19

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–547/वि0स0, दिनांक–18.01.2019 के प्रसंग में 250 (दो सौ पचास) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दीपक सिन्हा
24.1.19
(दीपक कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

(119)

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.01.2019 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न –ग–12 का प्रश्नोत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कार्मिक विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या–1863, दिनांक– 26.02.2015 तथा पत्र सं०–4786, दिनांक–01.06.2015 के द्वारा झारखण्ड राज्य के सभी विभागों मे हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से उत्तीर्ण शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के आधार पर दिनांक–26.06.2014 के बाद से प्रोन्नति पर रोक लगायी गई है।	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि कार्मिक विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या–7096, दिनांक–19.09.2018 में स्पष्ट है, कि जहाँ प्रोन्नति में हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र के अलावा अलग से अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता है, तो वैसे कर्मी को प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जाना है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–7096, दिनांक–19.09.2018 के द्वारा दिनांक–26.06.2014 के प्रभाव से किसी भी सरकारी नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के लिए हिन्दी विद्यापीठ, देवघर के द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–1863, दिनांक–26.02.2015 एवं पत्रांक–4786, दिनांक–01.06.2015 के प्रावधान नियमित प्रोन्नति जहाँ पर प्रोन्नति का आधार विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता न हो अर्थात् उच्चतर पद के लिए अलग से शैक्षणिक योग्यता विहित न हो कुप्रभावित नहीं करेंगे।
3	क्या यह बात सही है कि कार्मिक विभाग, झारखण्ड सरकार के उपरोक्त तीनों पत्र के आदेश के विरूद्ध झारखण्ड अग्निशमन सेवा में हिन्दी विद्यापीठ, देवघर के प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त अतिरिक्त योग्यता सब–ऑफिसर कोर्स (N.F.S.C.) के आधार पर दिनांक–26.06.2014 के बाद आदेश संख्या–99 एवं ज्ञापांक–656, दिनांक–21.04.2017 को सब–ऑफिसर के पद पर नियम विरूद्ध प्रोन्नति दी गई है।	अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–112, दिनांक–23.01.2019 के द्वारा सूचित किया गया है कि महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची के आदेश ज्ञापांक–99, दिनांक–21.04.2017 के द्वारा सब–ऑफिसर्स कोर्स उत्तीर्ण कुल–32 प्रधान अग्निक चालकों को सब–ऑफिस के पद पर प्रोन्नति दी गई है। इसमें हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से प्राप्त प्रमाण–पत्र के आधार पर दिनांक–26.04.2014 के पूर्व **श्री राज किशोर सिंह, श्री विनोद कुमार सिंह एवं श्री नरेश सिंह मुण्डा** द्वारा सब–ऑफिसर्स कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त तीनों खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गलत तरीके से सब ऑफिसर के पद पर प्रोन्नति कर्मी को पदच्युत करने का विचार रखती है, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–112, दिनांक–23.01.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सब–ऑफिसर के पद पर प्रोन्नति अग्निशमन सेवा नियमावली के अनुरूप नियमानुकूल तरीके से दी गई है, परन्तु सम्पूर्ण प्रकरण पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–7096, दिनांक–19.09.2018 के पूर्व दिनांक–21.04.2017 को अग्निशमन मुख्यालय द्वारा सब–ऑफिसर के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने के वैधिक पहलुओं पर विधि विभाग का मंतव्य प्राप्त किया जा रहा है तत्पश्चात् इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–05/वि०स०–07/02/2019–506/ राँची, दिनांक– 25/01/2019 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–452, दिनांक–17.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/19

सरकार के अपर सचिव।

(121)

श्री दशरथ गागराई, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.01.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–22 की उत्तर सामग्रीः–

क्र	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि 01 जनवरी 1948 को खरसावाँ गोलीकांड में शहीद हुए सभी लोगों को अब तक चिन्हित नहीं किया जा सका है;	स्वीकारात्मक साक्ष्य/अभिलेख के अभाव में चिन्हित नहीं किया जा सका है।
2.	क्या यह बात सही है कि गोलीकांड में शहीद हुए दो लोगों के आश्रितों को ही अनुग्रह राशि दी गयी है, जबकि गोलीकांड में सैकड़ों लोग मारे गये थे, जिसकी न्यायिक जाँच अबतक नहीं की गयी है;	स्वीकारात्मक खरसावाँ प्रखण्ड में दिनांक–01.01.1948 के गोलीकांड में हुए शहीदों की पहचान हेतु जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा दिए गए जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दो शहीदों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की राशि दी गई है– 1. शहीद स्व0 डोलो सोय, आश्रित–बिटुराम सोय, पिता–मानकी सोय, ग्राम–बन्दोलोहार, टोला–बाईडीह, प्रखण्ड–कुचाई 2. शहीद स्व0 सिंगराय बोदरा, आश्रित–नन्दु बोदरा, पिता–स्व0 सिंगराय बोदरा, ग्राम–महादेवबुटा, प्रखण्ड–खरसावाँ जिला स्तर पर शहीदों के पहचान के लिए ज्ञापांक–22/गो0, दिनांक–09.01.2015 को समिति का गठन किया गया। अपर उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। समिति के समक्ष तत्संबंधी कोई दावा, अभिलेख या साक्ष्य अबतक किसी के द्वारा या स्थल जाँच में प्राप्त नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खरसावाँ गोलीकांड की न्यायिक जाँच कराकर शहीद हुए अन्य लोगों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ज्ञापांकः–08/वि0स0(04)–04/2019.....504...../ राँची, दिनांक–25/.01...../2019...ई0

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–633, दिनांक–20.01.2019 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.01.19

सरकार के अपर सचिव।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

122

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स०वि०स० द्वारा दिनांक 28.01.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० का–13 की उत्तर सामग्री :–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा एवं पेंशन तथा पेंशनर कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक 38/37/2016-P&PW(A), दिनांक 12.05.2017 अंतर्गत दिनांक 01.01.2016 के पूर्व पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन को पुनरीक्षित करने की अनुशंसा सभी राज्य सरकार से की गई है;	अस्वीकारात्मक । भारत सरकार का उक्त पत्र केन्द्र सरकार के कर्मियों के संबंध में प्रभावी है । इस पत्र में राज्य सरकारों को कोई निदेश नहीं दिया गया है ।
2.	क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार के वित्त विभागीय संकल्प संख्या 755 दिनांक 20.10.2017 के आलोक में बिहार राज्य में दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के सभी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान की जा रही है;	स्वीकारात्मक ।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पेंशनरों के पेंशन को झारखण्ड राज्य में अबतक पुनरीक्षित नहीं किये जाने के कारण उक्त पेंशनरों को काफी आर्थिक नुकसान हा रही है;	स्वीकारात्मक ।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी पेंशनर परिवार के हित में तत्काल प्रभाव से बिहार के तर्ज पर खण्ड–02 में विर्णत तिथि से झारखण्ड में भी पुनरीक्षित पेंशन का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	संबंधित प्रस्ताव का गठन कर लिया गया है । सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर एक माह के अंदर संकल्प निर्गत करने की कार्रवाई की जायगी ।

झारखण्ड सरकार

योजना सह वित्त विभाग

——::——

ज्ञापांक :– 10/वि0स0(4)–09/2019 ....27/वि०.... रॉंची दिनांक 27.01.2019

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

27.01.19

(अविनाश कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

(123)

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–28.01.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–का–20 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिलान्तर्गत जलडेगा थाना जो जंगल पहाड़ की बीच दुर्गम एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि जलडेगा एवं पतिअम्बा पंचायत अंतर्गत केलुगा, मयोमडेगा एवं खखागढ़ा ग्राम सभा जो पेसा पंचायत एवं पेसा ग्राम सभा क्षेत्र अंतर्गत आता है, जो उस क्षेत्र के लोगों से वगैर प्रस्ताव तथा बिना आम सहमति के पूर्व में स्थित थाना को जलडेगा से हटाकर ओडगा थाना में समावेश कर दिया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। ओड़गा थाना नहीं बल्कि ओ०पी० है, जो जलडेगा थानान्तर्गत आता है। ओड़गा ओ०पी० वर्ष 1971 से अधिसूचित है।
3	क्या यह बात सही है कि इन तीनों ग्राम सभा जो थाना की दूरी 5 (पाँच) किलोमीटर थी, परन्तु अब इसकी दूरी लगभग 20 से 25 कि०मी० दूरी तय करनी पड़ती है ;	अस्वीकारात्मक। ओड़गा से केलुगा की दूरी लगभग 15 कि०मी०, ओड़गा से मयोमडेगा की दूरी लगभग 14 कि०मी० तथा ओड़गा से खरवागढ़ की दूरी लगभग 18 कि०मी० है। इन तीनों ग्रामों की दूरी जलडेगा थाना से 5–7 कि०मी० के दायरे में है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उस प्रभावित क्षेत्र के लोगों के बिना सहमति के पेसा अंतर्गत पंचायत या ग्राम सभा क्षेत्र में नया सीमांकण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	इस संदर्भ में प्रस्ताव समर्पित करने हेतु पुलिस अधीक्षक, सिमडेगा को निर्देश दिया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–08 / 2019–563 / राँची, दिनांक– 25/01/2019ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–699, दिनांक–21.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/19
सरकार के अपर सचिव।

(124)

श्री निर्भय कुमार शाहावादी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.01.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–का०– 09 की प्रश्नोत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
01.	क्या यह बात सही है कि पत्रांक–230, दिनांक 08.06. 2017 के आलोक में राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार वित्तीय अनियमितता एवं कार्य में लापरवाही से संबंधित कई गंभीर मामलों से संबंधित आरोप प्रमाणित होने के पश्चात् संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध प्रपत्र– 'क' गठित की गई है;	अस्वीकारात्मक। संबंधित पत्रांक किस विभाग/ कार्यालय से संबंधित है, स्पष्ट नहीं है।
02.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पदाधिकारियों पर प्रपत्र– 'क' गठित होने के बावजूद अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उक्त पदाधिकारी जिला तथा मुख्यालय के महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित है, जिसके कारण राज्य में उक्त पदाधिकारियों के द्वारा खण्ड–01 में वर्णित गंभीर मामलों को और प्रश्रय मिल रही है जिसका शिकार भोलीभाली जनता हो रही है;	जिन पदाधिकारियों के विरूद्ध प्रपत्र– 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया जाता है, उन सभी पदाधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
03.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पदाधिकारियों को प्रपत्र– 'क' पर आवश्यक कार्रवाई पूरा होने तक राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापन पर रोक से राज्य की जनता को खण्ड–01 में वर्णित गंभीर मामलों से मुक्ति मिलेगी तथा राज्य में विकास की गति तेज होगी;	अस्वीकारात्मक। राज्य के सभी पद महत्वपूर्ण है तथा जब तक आरोप प्रमाणित नहीं हो जाता प्रपत्र– 'क' के आधार पर स्थानान्तरण नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध होगा।
04.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में राज्य में वर्षों से खण्ड–01 में वर्णित पदाधिकारियों के विरूद्ध लंबित गंभीर मामलों में आवश्यक कार्रवाई का फलाफल आने तक तत्काल प्रभाव से संबंधित चिन्हित पदाधिकारियों का पदस्थापन राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर न करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–5/आरोप(वि0स0)–4–2/2019 का०–766/राँची, दिनांक 25 जनवरी, 2019

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–445 वि.स. दिनांक 17.01.2019 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/19

(अशोक कुमार खेतान)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(125)

श्री अमित कुमार मण्डल, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या – योवि०–03 के प्रश्न तथा उत्तर :–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में इन दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से अनरजिस्टर्ड न्यूज चैनल, खबर प्रचारित कर रहे है, साथ ही बिना अनुज्ञप्ति के धड़ल्ले से विज्ञापन चलाया जा रहा है ;	1. स्वीकारात्मक। सोशल मीडिया के माध्यम से चलाये जा रहे online web news portal/channel के निबंधन हेतु वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि अन रजिस्टर्ड सोशल मीडिया चैनल विज्ञापन के नाम पर मोटी कमाई कर रहे है, लेकिन ऐसे मीडिया चैनल से किसी भी तरह का कोई कर (टैक्स) की वसूली सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है ;	2. उपरोक्त के आलोक में लागू नहीं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के ऐसी सोशल मीडिया को चिन्हित करते हुए निबंधन करा कर टैक्स (कर) वसूली का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	3. केन्द्र सरकार से संबंधित ।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

ज्ञापांक – 01/स्था०(वि०स०)06/03/2019–सू०ज०स०.....50..... रांची,दिनांक 22/01/2019.

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या 170, दिनांक 13.01.2019 के क्रम में उत्तर प्रतिवेदन 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/1/19
सरकार के उप सचिव

श्री प्रकाश राम, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–28.01.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–15 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अंतर्गत ग्राम+पो०–बगरा के निवासी एवं मुखिया धर्मराज सिंह, जिनकी हत्या उग्रवादियों द्वारा 03.03.2000 को की गई थी, के आश्रित चन्दन कुमार सिंह को नौकरी हेतु उपायुक्त, चतरा के पत्रांक–556 / सा०, दिनांक–01.10.2009 द्वारा सचिव, गृह विभाग को भेजा गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि चन्दन कुमार सिंह को इस कारण नौकरी हेतु स्वीकृति नहीं दी गई कि हत्या की घटना झारखण्ड बनने के छह माह पूर्व की है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि आश्रित को नौकरी नहीं मिलने के कारण पूरा परिवार आर्थिक संकट में है ;	उपायुक्त, चतरा द्वारा मृतक के आश्रिता पत्नी श्रीमती इन्द्रमणी देवी को तत्कालीन प्रभावी संकल्प के आलोक में अनुग्रह–अनुदान का भुगतान किया जा चुका है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मृतक के आश्रित को तत्काल नौकरी देने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	विभागीय संकल्प सं०–2279, दिनांक–07.05. 2003 के प्रावधानानुसार उग्रवादी हिंसा में मृत उन्हीं सामान्य नागरिकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति अनुमान्य है जिनकी मृत्यु राज्य गठन (15.11.2000) के उपरांत हुई हो। उपरोक्त स्थिति में स्व० धर्मराज सिंह के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति अनुमान्य नही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–18 / वि०स० (02)–02 / 2019–566 / राँची, दिनांक– 25/01/2019 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–544, दिनांक–18.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 25/01/19
सरकार के अपर सचिव।

(127)

श्री योगेश्वर महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–28.01.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–24 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत टंडवा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी श्री मदन मोहन सिंह द्वारा रामनवमी के सुअवसर पर विधि व्यवस्था हेतु दबाव देकर एक निजी बोलेरो गाड़ी सं०–JH01CK-7390 लिया गया था जिसे नशे की हालत में थाना प्रभारी एवं चालक द्वारा दिनांक–28.03.2018 को पेट्रोलिंग के दौरान उक्त वाहन को दुर्घटनाग्रस्त करा दिया गया, लेकिन आज तक गाड़ी की मरम्मति इनके द्वारा नहीं करायी गयी ;	बोलेरो वाहन संख्या–जे०एच० 01 सी०के०/7390 को विधि–व्यवस्था ड्यूटी हेतु सी०सी०एल० के मॉ अम्बे कोल कम्पनी के माध्यम से थाना में विधि–व्यवस्था ड्यूटी हेतु उपलब्ध कराया गया था एवं उक्त वाहन का किराया भी कम्पनी द्वारा दिया जाता था। दिनांक 28.01.2018 को यह वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुई जिस संदर्भ में टण्डवा थाना काण्ड संख्या–49/18 दिनांक 29.03.2018 धारा–279/337/338/427 भा०द०वि० दर्ज किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि आरक्षी अधीक्षक, चतरा ने उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए अपने पत्रांक–4018, दिनांक–15.11.2018 द्वारा श्री सिंह को गाड़ी मरम्मति अथवा इसकी भरपाई हेतु आदेश दे दिया है, परन्तु अब तक तत्कालीन थाना प्रभारी श्री सिंह द्वारा इस दिशा में कोई भी कार्रवाई नही की गयी है ;	पुलिस अधीक्षक, चतरा के पत्रांक–4018, दिनांक 15.11.2018 के द्वारा तत्कालीन पुलिस निरीक्षक–सह–थाना– प्रभारी मदन मोहन सिंह को वाहन की मरम्मति सुनिश्चित करवाने हेतु दिशा–निर्देश दिया गया था।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आरोपित थाना प्रभारी के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उक्त गाड़ी की मरम्मति करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उक्त दुर्घटना के संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन अविलम्ब सौंपने हेतु अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, टण्डवा को पुलिस अधीक्षक, चतरा के ज्ञापांक–336/गो०, दिनांक 25.01.2019 के द्वारा निर्देशित किया गया है। बोलेरो वाहन संख्या–जे०एच० 01 सी०के०/7390 को पूर्ण मरम्मति हेतु सर्विस सेंटर भेजा गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–05/2019–564/ राँची, दिनांक– 25/ 01/2019 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–696, दिनांक–21.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/19
सरकार के अपर सचिव।

(128)

श्री राम कुमार पाहन, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–28.01.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–14 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा थाना में तीन–तीन स्थायी सरकारी चालक रहने के बावजूद थाना प्रभारी अपने निजी चालक श्री लालमोहर से पेट्रोलिंग आदि कार्यों में सेवा ले रहे है ;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि थाना प्रभारी के इशारे पर थानान्तर्गत चौक चौराहों के व्यापारियों, कोयलावालों एवं वाहनों से उक्त निजी चालक से अवैध उगाही का कार्य लिया जाता है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त निजी चालक को हटाने एवं थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में अनगड़ा थाना में उक्त निजी चालक कार्यरत नहीं है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, राँची द्वारा अनगड़ा थाना प्रभारी के विरूद्ध राँची जिला विभागीय कार्यवाही संख्या–08/19 प्रारम्भ की जा चुकी है। विभागीय जांच समर्पित करने के पश्चात समुचित कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–02/2019–568/ राँची, दिनांक–25/01/2019 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–454, दिनांक–17.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/19

सरकार के अपर सचिव।

(130)

दिनांक 28.01.2019 को श्री राज सिन्हा, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या जन–03 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि अविभाजित बिहार के समय आदिवासी एवं होड़ संवाद नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में होड़ संवाद पत्रिका का प्रकाशन बंद पड़ा है;	अस्वीकारात्मक होड़ संवाद पत्रिका का प्रकाशन नियमित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बंद पड़े पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

ज्ञापांक – 01/स्था०(वि०स०)06/04/2019–सू०ज०स०.....59..... रांची,दिनांक 26/01/2019

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उत्तर प्रतिवेदन 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/1/19
सरकार के उप सचिव

(132)

श्री भानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–28.01.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–21 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017 में सहायक पुलिस की नियुक्ति 10,000/– रूपये की मानदेय पर किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि विज्ञापन में यह सूचित किया गया था कि नियुक्ति के बाद सहायक पुलिस अपने थाना क्षेत्र में डियूटी के लिए प्रतिनियुक्त किया जायेगा ;	अस्वीकारात्मक। सहायक पुलिस की ड्यूटी संबंधित जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्धारित होती है।
3	क्या यह बात सही है, कि उनसे अपने जिला के अलावा अन्य हरेक जिले में डियूटी लिया जाता है जिसके लिए न तो यात्रा भत्ता मिलता है या ना तो कोई अन्य प्रकार का भत्ता मिलता है जबकि डियूटी में साथ गए जिला बल को हर प्रकार की सुविधा मिलती है जबकि वे जिला बल के समान डियूटी करते है ;	अस्वीकारात्मक। सेवाशर्त के अनुसार मानदेय के अलावे किसी अन्य प्रकार का भत्ता या राशि अनुमान्य नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड के सभी सहायक पुलिस के मानदेय एवं अन्य सुविधाओं को बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	सहायक पुलिस को मानदेय के अलावे मेडिक्लेम, दुर्घटना/जीवन बीमा, कर्तव्य पर मृत्यु की स्थिति में गृह रक्षक के समान अनुग्रह अनुदान एवं सामान्य आरक्षी की नियुक्ति में **weightage** दिये जाने का प्रावधान है। सम्प्रति सहायक पुलिस के मानदेय एवं अन्य सुविधाओं को बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–06/2019–562/ राँची, दिनांक– 25/01/2019 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–632, दिनांक–20.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/19

सरकार के अपर सचिव।

(133)

श्री शशिभूषण सामाड़, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–28.01.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड अलग राज्य के आन्दोलनकारियों को झारखण्ड /वनांचल चिन्हितीकरण आयोग से चिन्हित करा लिया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। अबतक आयोग द्वारा कुल आठ (8) सम्पुष्ट सूचियों में तीन हजार सात सौ छः (3706) एवं वर्त्तमान में एक (1) औपबंधिक सूची में कुल 32 (बत्तीस) आन्दोलनकारी को चिन्हित किया गया है। आयोग को 08 अगस्त 2018 तक 62,390 (बासठ हजार तीन सौ नब्बे) आवेदन प्राप्त है एवं लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड अलग राज्य के आन्दोलन के दौरान जो आन्दोलनकारी जेल नहीं गये या जिनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है उसे आन्दोलनकारी मानती है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड अलग राज्य के आन्दोलनकारियों को सम्मानित करने की दिशा में वर्गीकरण कराया गया है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड अलग राज्य के सभी आन्दोलनकारियों को आयोग से चिन्हित कराकर समान रूप से सम्मानित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड/वनांचल आन्दोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग द्वारा चिन्हित एवं विभाग द्वारा अधिसूचित आंदोलनकारियों को, राज्य सरकार, विभागीय संकल्प संख्या–2108, दिनांक–07.05.2012 के अनुरूप, उनके कोटि के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं प्रदत्त करने हेतु कृत संकल्पित है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–902/2019–570/ राँची, दिनांक– 25/01/2019ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–451, दिनांक–17.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/19
सरकार के अपर सचिव।

श्री सुखदेव भगत, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.01.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–17 की उत्तर सामग्रीः–

क्र	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जनवरी से नवम्बर माह–2017 में राज्य में संज्ञेय अपराधों की कुल घटनाएँ पैंतालीस हजार चार सौ बारह (045,412) दर्ज की गई थी, जबकि वर्ष 2018 में इसी अवधी में दर्ज अपराधों की घटनाएँ बढकर तिरपन हजार एक सौ उन्नीस (53,119) दर्ज की गई है।	आंशिक स्वीकारात्मक माह जनवरी से माह नवम्बर–2017 में घटित संज्ञेय अपराधों की कुल संख्या 50,636 (पचास हजार छः सौ छत्तीस) दर्ज की गई है। माह जनवरी से माह नवम्बर–2018 में घटित संज्ञेय अपराधों की कुल संख्या 53,600 (तिरपन हजार छः सौ) दर्ज की गई है। इस अवधि में राज्य में कई थाना/पुलिस अनुमंडल का गठन किया गया, जिससे दूर–दराज के रहने वाले आम जनता की शिकायतों को पुलिस के द्वारा सुना गया। जनसंख्या वृद्धि, संचार साधन एवं सड़क इत्यादि सुविधा होने के कारण तथा आम जनता के जागरूक होने से भी उनके शिकायतों को सुनने से स्वाभाविक रूप से पंजीकरण के उपरांत वृद्धि होती है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अपराधिक घटनाओं में नियंत्रण कर कमी लाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	अपराधिक घटनाओं के नियंत्रण हेतु राज्य में 18 (अठारह) नये पुलिस अनुमंडल, 17 (सत्रह) नये पुलिस थाने, 03 (तीन) नये यातायात थाने, 06 (छः) साईबर क्राईम थाने तथा 03 (तीन) ओ0 पी0 सृजित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त देवघर जिलान्तर्गत 03 (तीन) अस्थायी पुलिस चौकी भी स्थापित किये गये हैं। साथ ही कतिपय पुलिस अनुमंडल/थाना/ओ0पी0 तथा शेष 18 जिलों में साईबर क्राईम थाना एवं शेष 15 जिलों में यातायात थाना का सृजन प्रस्तावित है तथा आर्थिक अपराध की इकाई का गठन भी प्रकियाधीन है। साथ ही अपराधिक घटनाओं के नियंत्रण के लिए नियमित रूप से जिला पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पदाधिकारियों के द्वारा अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जाता है। फरार अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी लगातार की जा रही है एवं उनके विरूद्ध सी0सी0ए0 भी लगाया जा रहा है। त्वरित गति से काण्डों का निष्पादन करते हुए स्पीडी ट्रायल के तहत् माननीय न्यायालय के द्वारा सुनवाई की जा रही है। अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा विभिन्न अवसरों पर अपराध समीक्षा लगातार की जा रही है, जिनके अंतर्गत जिलावार काण्डों का निष्पादन, अपराधियों की गिरफ्तारी, कमजोर वर्गों के अत्याचार से संबंधित काण्डों की समीक्षा शामिल है ताकि आपराधिक घटनाओं में कमी आ सके।

झारखण्ड सरकार

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ज्ञापांकः–08/वि0स0(04)–05/2019......505....../ राँची, दिनांक–25/01/2019 ई0।

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–546, दिनांक–18.01.2019 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/19

सरकार के अपर सचिव।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(135)

श्री अमित कुमार मण्डल, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या – जन–01 के प्रश्न तथा उत्तर :–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्र के पत्रांक – JH/R/121/18 दिनांक 19.11.2018 को शिप्रा फिल्मर्स इन्टरटेनमेंट द्वारा निर्मित फिल्म "अर्जुन" के लिए सारी अहर्त्ताऐं पूरी करने के पश्चात् निर्माता द्वारा विगत – 10 माह पूर्व अनुदान राशि की माँग के लिए आवेदन दिया जा चुका है ;	1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। निर्माता द्वारा अनुदान राशि की माँग के लिए आवेदन दिया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित फिल्म – अर्जुन (संथाली) बनाने के बाद राज्य की पहली अनुदान राशि की माँग करनेवाला पहला आवेदक निर्माता है ;	2. अस्वीकारात्मक। अनुदान प्राप्त करने वाली प्रथम संथाली फिल्म "रोफा" है।
3	क्या यह बात सही है कि शिप्रा फिल्मर्स इन्टरटेनमेंट के निर्माता के बाद के फिल्म निर्माता को अनुदान राशि दिया जा चुका है, जबकि शिप्रा फिल्मर्स इन्टरटेनमेंट के मामले को लंबित रखा गया है ;	3. अस्वीकारात्मक। शिप्रा फिल्मर्स इन्टरटेनमेंट द्वारा निर्मित फिल्म "अर्जुन" के बाद निर्मित किसी भी फिल्म के लिए निर्माता को अनुदान राशि नहीं दी गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के युवाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के फिल्म निर्माता को बढ़ावा देने हेतु शिप्रा फिल्मर्स इन्टरटेनमेंट को त्वरित अनुदान राशि निर्माता आवेदक को देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	4 सरकार द्वारा फिल्म निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए झारखण्ड फिल्म नीति 2015 प्रवृत्त है। "सिंगल विंडो कमिटि फॉर फिल्मस्" का गठन प्रक्रियाधीन है। समिति के गठन के उपरांत इनके आवेदन को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

ज्ञापांक – 01/स्था०(वि०स०)06/01/2019–सू०ज०स०......48...... रांची,दिनांक....22/01/2019

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या 174, दिनांक 13.01.2019 के क्रम में उत्तर प्रतिवेदन 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/1/19
सरकार के उप सचिव

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०– का – 16 दिनांक 28.01.2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

अल्प सूचित प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा नियुक्ति की नीति अंतर्गत राज्य में संविदा के आधार पर कम वेतन देकर अधुरी सुविधाओं के साथ युवक एवं युवतियों की बहाली की जाती है जिससे सिमडेगा जिला के ST एवं SC युवक–युवतियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है।	**अस्वीकारात्मक।** संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से कोई नीति का निर्धारण नहीं किया गया है। संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 4569/वि० दिनांक 05.07.2002 के द्वारा मार्गदर्शन निर्देशित है। संविदा कर्मी को एक Lump sum राशि मासिक वेतन/मानदेय के रूप में दी जाती है जिसका निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प सं० 965 दिनांक 25.03.2009 तथा संकल्प सं० 2176 दिनांक 28.07.2015 द्वारा किया गया है।
(2.) क्या यह बात सही है कि उक्त जिला में भविष्य में आने वाले उम्मीदवारों का मूलभूत सुविधाओं से प्रभावित हो रही है जिससे राज्य में भी अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।	**अस्वीकारात्मक।**
(3.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसी गलत नितियों को अविलम्ब संशोधन कर स्थायी व्यवस्था करने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वीकृत स्थायी पदों पर यथा निर्धारित प्रक्रिया से नियुक्ति करने के लिए राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है। संविदा जैसी आवश्यकता आधारित अस्थाई नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त/संशोधित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10/वि.स० (4)–16/2019..29/वि.प्र.... **राँची/दिनांक**:..27.01.2019

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक 548/वि०स०, राँची, दिनांक 18.01.2019 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.01.19

(अविनाश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड,
राँची।

(137)

श्री अरूप चटर्जी, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या योवि० – 04 के प्रश्न तथा उत्तर :–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकारी कार्यों के प्रचार–प्रसार पर होर्डिंग पोस्टर में विगत चार वर्षों में 323 करोड़ रूपये खर्च किए गए है ;	अस्वीकारात्मक। चार वर्षों में फ्लैक्स, होर्डिंग, पम्पलेट एवं अन्य प्रकाशनों पर कुल 79.05 (उन्यासी करोड़ पाँच लाख) रू० मात्र खर्च हुआ है।
2	क्या यह बात सही है कि विज्ञापन हेतु वर्ष 2014–15 में कुल आवंटन 40 लाख रूपये में जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर 80 लाख किया गया है ;	अस्वीकारात्मक। विज्ञापन हेतु वर्ष 2014 में कुल आवंटन 40 करोड़ था, जो 2018–19 में बढ़कर 80 करोड़ हो गया।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार प्रति वर्ष करोड़ों रूपये लोक ऋण एवं बाजार ऋण लेकर सरकारी कर्मियों का वेतन भुगतान करती है ;	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से संबंधित नहीं है। योजना–सह–वित्त विभाग को स्थानांतरित।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विज्ञापन एवं पोस्टर पर होने वाले खर्च में कटौती करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त क्रमांक '1' एवं '2' के प्रसंग में कहना है कि अधिक से अधिक लोगों तक सरकार की नीतियों, योजनाओ एवं कार्यक्रमों को पहुँचाना राज्य सरकार का दायित्व है। विभिन्न संचार माध्यमों के बढ़ते आयामों को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन, पोस्टर आदि पर होने वाले खर्च में कटौती करना उचित नहीं होगा।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

ज्ञापांक – 01/स्था०(वि०स०)06/02/2019–सू०ज०स०......45...... रांची,दिनांक 22/01/2019

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या 231, दिनांक 14.01.2019 के क्रम में उत्तर प्रतिवेदन 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.1.19

सरकार के उप सचिव

137

श्री अरूप चटर्जी, स०वि०स० द्वारा दिनांक 28.01.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० योवि–04 की उत्तर सामग्री :–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकारी कार्यो के प्रचार–प्रसार पर होडिंग पोस्टर में विगत चार वर्षो में 323 करोड़ रूपये खर्च किए गये है;	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड से संबंधित है ।
2.	क्या यह बात सही है कि विज्ञापन हेतु वर्ष 2014–15 में कुल आवंटन 40 लाख रूपये में जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर 80 लाख किया गया है;	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड से संबंधित है ।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार प्रति वर्ष करोड़ो रूपये लोक ऋण एवं बाजार ऋण लेकर सरकारी कर्मियों का वेतन भुगतान करती है;	अस्वीकारात्मक । लोक ऋण एवं बाजार ऋण केवल पूंजीगत व्यय के लिए प्राप्त किये जाते है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विज्ञापन एवं पोस्टर पर होने वाले खर्च में कटौती करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड से संबंधित है ।

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग

––::––

ज्ञापांक :– 10 / वि0स0(4)–02 / 2019 ....98/ 5904.... राँची दिनांक 27.01.2019

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

27.01.19

(अविनाश कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

श्री राजकुमार यादव, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०– योवि 06 दिनांक 28.01.2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

अल्प सूचित प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समान काम के लिए समान वेतन देने का आदेश देश के राज्य सरकारों के लिए पारित किया है।	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।**
(2.) क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद झारखण्ड सरकार में कार्यरत अनुबंध कर्मियों, पारा शिक्षकों, अनुबंध कम्प्यूटर ऑपरेटर–पारा मेडिकल स्टाफ को स्थायी कर्मियों के समतुल्य वेतन हेतु अबतक कोई विचार नहीं किया है?	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।**
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार त्वरित निर्णय लेकर उपरोक्त राज्य में कार्यरत कर्मियों के हित में समान काम के लिए समान वेतन देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करने का न्यायादेश अन्य राज्यों के मामलों में पारित है। तद्‌लोक में राज्य सरकार के अंतर्गत नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों का उनके धारित पद के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ दी जा रही हैं। नियमित नियुक्तियों के अतिरिक्ता (Additionality) विशेष प्रयोजनों से कार्यों के सम्पादन के लिए तदर्थ व्यवस्था के तहत अनुबंध कर्मी/दैनिक कर्मी की नियुक्ति नियत वेतन/मानदेय पर की जाती है, जिसमें एकरूपता रखी जाती है। नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक एवं संविदा/अनुबंध कर्मियों का वेतन समान नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों के नियोजन की प्रक्रिया एवं सेवाशर्त्त एकदम भिन्न है। इसके अतिरिक्त योजना विशेष के घटक के रूप में केन्द्र सरकार भी व्यय भार का वहन करती है। ऐसी स्थिति में समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त में नियमित रूप से स्वीकृत पद के विरूद्ध नियुक्त सरकारी सेवक के समान संविदा/अनुबंध कर्मियों को वेतन देने में सैद्धान्तिक कठिनाई है चूँकि नियमित नियुक्ति सरकार द्वारा स्वीकृत निर्दिष्ट वेतनमान में की जाती है जबकि संविदा की नियुक्ति नियत मानदेय पर की जाती है। वेतन एवं मानदेय दोनों अलग प्रकृति के हैं। दोनों के नियोजन की प्रक्रिया तथा सेवाशर्त्ते भी काफी भिन्न हैं।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10/वि.स. (4)–15/2019....251/वि० रॉंची/दिनांक:...27.01.2019

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रॉंची के ज्ञापांक 635/वि०स०, रॉंची, दिनांक 20.01.2019 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.01.19

(अविनाश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड,
रॉंची।

(139)

माननीया श्रीमती सीमा देवी, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–28.01.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–का0–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि JPSC द्वारा वर्ष 2015 में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन 06/2015 (REGULAR) एवं 07/2015 (BACKLOG) प्रकाशित किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त विज्ञापन पर परीक्षा तिथि वर्ष 2016 एवं 2017 में दो बार जारी होने के बावजूद अबतक परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं की गयी थी बल्कि अधियाची विभागों द्वारा प्रेषित संशोधित अधियाचना के क्रम में विज्ञापन संख्या–06/2015 दिनांक–27.01.2017 को यथा संशोधित कर विज्ञापन प्रकाशित करते हुए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था। पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–5052, दिनांक–31.08.2018 के द्वारा सहायक अभियंता असैनिक/यांत्रिक के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली, 2016 के आलोक में प्रारंभ करने का दिशा–निदेश प्राप्त हुआ। पूर्व प्राप्त अधियाचना के आलोक में विज्ञापन संख्या–06/2015 (REGULAR) एवं विज्ञापन संख्या–07/2015 (BACKLOG) बिहार अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली, 1991 के प्रावधान के आलोक में प्रकाशित की गयी थी, फलतः झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक–2253, दिनांक–28.09.2018 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा पुरानी अधियाचनाओं को वापस लेते हुए अद्यतन रिक्तियों को समेकित कर झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली, 2016 के अनुरूप पुनः अधियाचना उपलब्ध कराने का अनुरोध पथ निर्माण विभाग से किया गया। पथ निर्माण विभाग से झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली, 2016 के अनुरूप अधियाचना अब तक अप्राप्त है। अधियाचना प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रकाशित विज्ञापन पर यथाशीघ्र परीक्षा का आयोजन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–02 में वस्तुस्थिति अंकित है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11 / वि0स0–06–05 / 2019 का0 769 / राँची दिनांक– 25 जनवरी, 2019

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–446, दिनांक–17.01.2019 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/1/19
(राज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

डा0 इरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.01.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– का॰– 19 का प्रश्नोत्तर

क्र0	*प्रश्न*	*उत्तर*
1	*2*	*3*
1.	क्या यह बात सही है, कि वर्तमान में जामताड़ा जिला में श्रीमती प्रतिभा कुजूर कार्यपालक दण्डाधिकारी के पद पर पदस्थापित हैं, जो पिछले पाँच वर्षों से जामताड़ा जिला में कल्याण पदाधिकारी एवं समाज कल्याण पदाधिकारी के प्रभार में उक्त पद पर लगातार कार्यरत रही है।	स्वीकारात्मक । विभागीय अधिसूचना सं0– 5861 दिनांक 01.07.2013 के द्वारा श्रीमती प्रतिभा कुजूर को कार्यपालक दण्डाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है, कि एक स्थान पर पाँच वर्षों तक एक पदाधिकारी को पदस्थापित रहना नियम के प्रतिकूल है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। झारखण्ड प्रशासनिक सेवा नियमावली 2015 के नियम 24 के अनुसार सामान्यतः तीन वर्ष का कार्यकाल झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के एक स्थानांतरण/पदस्थापन हेतु निर्धारित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार श्रीमती प्रतिभा कुजूर का अन्यंत्र स्थानान्तरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	तीन वर्षो से अधिक समय से एक हीं जिला में पदस्थापित झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के अन्यत्र स्थानांतरण/पदस्थापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 4/विधानसभा–08–06/2019 का॰. **765**/ राँची, दिनांक **25** जनवरी, 2019

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0– 629 वि.स. दिनांक 20.01.2019 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/19

(ओम प्रकाश साह)
सरकार के उप सचिव।

(143)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.01.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–20 की उत्तर सामग्रीः–

क्र	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बड़कागाँव थाना के चिरूडीह पुलिस गोलीकांड में अभिषेक कुमार राय, पिता–पवन राय, ग्राम–सोनबरसा, जो विद्यालय का छात्र था, जिसकी मृत्यु घटनास्थल पर ही पुलिस की गोली से हो गयी थी;	अस्वीकारात्मक एन०टी०पी०सी० के विरोध में कुछ लोगों के द्वारा कफन सत्याग्रह आंदोलन चिरूडीह में किया जा रहा था, जिसमें विधि–व्यवस्था संधारण के क्रम में स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस पर उपद्रवियों के द्वारा अवैध हथियार से गोलीबारी की गई थी। उपद्रवियों पर विधि सम्मत कार्रवाई के दौरान उग्र भीड़ द्वारा पुलिस एवं प्रशासन पर गोलीबारी करते हुए जानलेवा हमला कर दिया गया। तत्पश्चात् पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षार्थ हवाई फायरिंग की गई, जिसमें किसी उपद्रवियों की गाली से ही मृतक अभिषेक कुमार राय एवं अन्य लोगों को गोली लगी थी। फलस्वरूप अभिषेक कुमार राय की मृत्यु हो गई थी।
2.	क्या यह बात सही है कि मृतक के पिता द्वारा पुलिस प्रशासन एवं प्रबंधन के विरूद्ध हत्या का मामला दर्ज किया है, जिसका बड़कागाँव थाना काण्ड संख्या–106/18 दर्ज की गयी है, जिसमें 25 नामजद अभियुक्त बनाये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है;	मृतक अभिषेक कुमार राय के पिता–पवन कुमार राय के द्वारा माननीय न्यायालय में दायर परिवाद संख्या–1592/18 के आधार पर बड़कागाँव थाना काण्ड संख्या–106/18, दिनांक–03.07.2018 धारा–302/34 भा०द०वि० के अंतर्गत 25 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज कराया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में काण्ड में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। काण्ड अनुसंधान अंतर्गत है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बड़कागाँव थाना काण्ड संख्या–106/18 के आलोक में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अन्य दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ज्ञापांकः–08/वि0स0(04)–03/2019.....507..../ राँची, दिनांक–25/01/2019...ई0

प्रतिलिपिः– अवर संचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–631, दिनांक–20.01.2019 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/19

सरकार के अपर सचिव।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~